न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2020-00226RAAJodhpur2020-06 LRA75 Raish Khan ors Vs Hajariram etc

01. रईस खॉ पुत्र श्री नेजे खॉ, जाति मुसलमान, निवासी- मोहरा, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।
02. राणीदान सिंह पुत्र श्री भाखर सिंह, जाति राजपूत, निवासी- छायण, हाल फलोदी, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. हजारीराम पुत्र श्री जैनाराम, जाति मेघवाल, निवासी- सांगुरी, तहसील बाप, जिला जोधपुर।
2. तहसीलदार फलोदी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 बरखिलाफ संपरिवर्तन आदेश क्रमांकः राजस्व/2020/70 दिनांक 11 जून 2020 विहित प्राधिकारी {उपखण्ड अधिकारी} फलोदी द्वारा ग्राम ढढू तहसील फलोदी के खसरा नं. 526/3 रकबा 1.10.05 बीघा के शैक्षणिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन

उपस्थित-

श्री गिरधरसिंह, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या दो

नि र्ण य

दिनांक : 10 अगस्त 2023

अपीलाण्ट्स ने विहित प्राधिकारी {उपखण्ड अधिकारी} फलोदी द्वारा संपरिवर्तन आदेश क्रमांकः राजस्व/2020/70 दिनांक 11 जून 2020 के जरिये ग्राम ढढू तहसील फलोदी के खसरा नं. 526/3 रकबा 1.10.05 बीघा के शैक्षणिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन के खिलाफ आलौच्य अपील

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत दिनांक 27 अगस्त 2020 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने का निवेदन किया। अपीलांट्स द्वारा एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब का क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेंट संख्या एक हजारी राम ने अपने संपरिवर्तन प्रार्थना पत्र में स्वयं को ग्राम ढढू का निवासी बताते हुए सम्परिवर्तन प्रार्थना पत्र पेश किया है, जबकि सम्परिवर्तन आदेश में रेस्पोडेंट संख्या एक हजारीराम ने अपना निवास स्थान ग्राम सांगुरी तहसील बाप जिला जोधपुर बताया है। इस कारण उपरोक्त भूमि बेनामी भूमि है, उस पर शिक्षण संस्थान बनी हुई है। इस कारण भी उपरोक्त आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेंट संख्या एक ने अपने आवेदन में ग्राम ढढू के खसरा नं. 206/3 रकबा 1.10.15 बीघा भूमि सम्परिवर्तन करने का आवेदन किया, जबकि माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नं. 526/3 को सम्परिवर्तन करने का आदेश दिया है। माननीय न्यायालय ने आवेदन पढा ही नहीं है। रेस्पोडेंट संख्या एक हजारीराम ने अपने प्रार्थना पत्र में सम्परिवर्तन भूमि के लिए 30 फीट रास्ता होना कानूनन अनिवार्य है, जबकि उन्होंने 11.5 फुट का रास्ता बताकर उक्त सम्परिवर्तन आदेश पारित करवा लिया है जो कतई न्यायोचित व न्यायसंगत नहीं है। हल्का पटवारी द्वारा भी अपनी मौका फर्द दिनांक 31.01.2020 में व तहसीलदार फलोदी को प्रस्तुत रिपोर्ट में भी रास्ता का नाम 11.5 फुट ही बताया है तथा चेक लिस्ट में भी क्रम संख्या 15 पर प्रस्तावित सड़क की चौड़ाई

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दिशा निर्देशों के अनुसार है या नहीं में स्पष्ट नही लिखा था तथा न्यूनतम 30 फुट आवश्यक होना बताया था। वर्तमान में 11.5 फुट होना बताया है, फिर भी उक्त बिंदु पर गौर किए बिना ही संपरिवर्तन आदेश पारित कर दिया। पटवारी ने अपनी मौका रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से दर्शाया था कि उक्त संपूर्ण भूमि पर निर्माण हो रखा है, फिर भी उक्त बिंदु पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश कर दिया जो निरस्त योग्य है। उक्त भूमि पर आनन्द शिक्षण संस्थान के 12वी कक्षा तक की स्कूल है, जिसमें करीब 1200 विघार्थी अध्ययनरत है, जिनके परिवहन के लिए बसो व टैक्सी, टेम्पों इत्यादि का भी संचालन किया जा रहा है, जिससे कभी भी एक्सीडेंट, आग लगने व अप्रिय घटना घटित होने का डर रहता है, फिर भी रास्ता 11.05 फुट का बताकर संपरिवर्तन का आदेश पारित करवा लिया है जो निरस्त योग्य है। रेस्पोडेंट संख्या एक ने रास्ता 30 फीट चौड़ा होने की अनिवार्यता होने के उपरांत उसने अपनी स्कूल के मैन गेट को 30 फुट चौड़ा बताते हुए 11.05 फुट चौड़े रास्ते पर ही संपरिवर्तन का आदेश पारित करवा लिया है जो निरस्त योग्य है। उपरोक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड में भी नहीं है तथा पटवारी रिपोर्ट के अनुसार उक्त सड़क शमशान भूमि के लिए बनी हुई है तथा उपरोक्त स्कूल शमशान भूमि के सामने आया हुआ है। इस कारण भू-राजस्व नियम 2007 की धारा 4-घ के तहत उक्त भूमि का संपरिवर्तन नहीं किया जा सकता है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उक्त विवादग्रस्त भूमि में स्कूल संचालित की जा रही है, जिसमें हजारों विघार्थी पढने आते है। इस कारण सार्वजनिक हित निहित है तथा अपीलांटगण अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था। जिस कारण अपीलांट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी समय पर नहीं हो

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सकी। अपीलांट्स द्वारा जानकारी से अंदर म्याद अपील प्रस्तुत की है। अपीलांट्स विचारण न्यायालय में पक्षकार संयोजित नहीं होने से अपील प्रस्तुत करने से पूर्व माननीय न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार फरमाया जावे एवं अपीलांटगण को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपीलांट्स को अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का क्षमा किया जावे।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स गुणावगुण स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित संपरिवर्तन आदेश दिनांक 11 जून 2022 को खारिज फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का निस्तारण किया जाना उचित समझते है। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये ग्राम ढढू तहसील फलोदी के कृषि भूमि खसरा नं. 526/3 रकबा 1.10.05 बीघा में सें 2448.26 वर्गमीटर भूमि को शैक्षणिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित किया जाना पाया जाता है। अपीलांट्स द्वारा अपील में अपना निवास स्थान क्रमशः मोहरा, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर एवं छायण, हाल फलोदी, जिला जोधपुर बताया है, जिससे यह साबित होता है अपीलांट्स ग्राम ढढू के निवासी नहीं है। अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह साबित होता है कि वे

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

ग्राम ढढू के निवासी होने से अपीलाधीन आदेश से प्रभावित पक्षकार है तथा उनके हित एवं अधिकार प्रभावित हो रहे है। यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ-पत्र भी पेश नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी खारिज किया जाता है तथा अपील अपीलांट अनुमति बाधित होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10.08.23

{मंगलाराम पूनिया}
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर